न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -97/2023

अनवान

1. किशनलाल पुत्र देवी, जाति गुर्जर, आयु वालिग, पेशा काश्त, निवासी वीना का खेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान।
2. सीताराम पुत्र मथरालाल, जाति गुर्जर, आयु वालिग, पेशा काश्त, निवासी बीना का खेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

-वादीगण/प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र भवाना, जाति ओड़, आयु वालिग, पेशा काश्त, निवासी वीना का खेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. गट्टू वाई पत्नी भवाना, जाति ओड़, आयु वालिग, पेशा काश्त, निवासी बीना का खेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. चन्दा बाई पुत्री भवाना, जाति ओड़, आयु वालिग, पेशा काश्त, निवासी वीना का खेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. मनभर वाई पुत्री भवाना, जाति ओड़, आयु वालिग, पेशा काश्त, निवासी वीना का खेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. मोहन पुत्र भवाना, जाति ओड़, आयु वालिग, पेशा काश्त, निवासी वीना का खेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
6. हरकू वाई पुत्री भवाना, जाति ओड़, आयु वालिग, पेशा काश्त, निवासी वीना का खेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
7. जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री पराग त्रिपाठी अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थी संख्या 01 से 06 एकतरफा कार्यवाही व 07 पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 05.11.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व सह खातेदार के खातेदारी की कृषि आराजीयात ग्राम बीना का खेड़ा, प0ह0 मेघनिवास, भू.अ.नि. क्षेत्र बोराव, की खाता संख्या 14 खसरा संख्या 36, 37, 38, 43, 40, 55, 56, 57, 58 कुल किता 09 कुल रकबा 4.1100 हैक्टर भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थीगण व सह खातेदार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि पर आने-जाने के लिए रास्ता ग्राम बीना का खेड़ा से जराड का रास्ता के बीच में अप्रार्थीग्ण संख्या 01 से 06 के खातेदारी की आराजी संख्या 157/66 की मेड़ से होकर प्रार्थीगण की आराजी संख्या 57 पर मिलता है, जिस पर कदीमी समय से 15 फिट चौड़ा रास्ता [illegible] एवं उनके परिवारजन पुश्तैनी रूप से करते चले आ रहे थे, लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा [illegible] रास्ते को सकड़ा कर दिया है तथा वर्तमान में 7 फिट का रास्ता [illegible] खातेदारी अधिकार की आराजी पर काश्त हेतु ट्रेक्टर आदि लेकर आ जा नहीं पा रहे है [illegible] को लेकर अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 विवाद कर रहे है तथा रास्ते को बंद करने पर आमादा है। इसलिए यह प्रार्थना-पत्र रास्ता 15 फिट चौड़ा कायम कराने हेतु न्यायालय श्रीमान् में पेश करना आ[illegible]क हुआ है। अंत में प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की ग्राम बीना का खेडा की कृषि आराजीयात आराजी संख्या 57 पर आने जाने के लिए ग्राम बीना का खेडा की आराजी संख्या 157/65 गै0मु0 रास्ते को जो सकडा कर दिया है को पूर्ण खुलवाया जाकर 15 फिट चौडा रास्ता तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान कर नक्शें में भी तरमीम किये जाने का अनुरोध किया।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh G
Date: 2024.11.27 17:11:26 IS
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया, विपक्षीगण संख्या 01 से 06 न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए। प्रकरण रास्ता कायमी का होने से तहसीलदार रावतभाटा से मौका एवं स्थिति की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रावतभाटा ने प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम बीना का खेडा प0ह0 मेघनिवास के आराजी संख्या 36, 37, 38, 43, 46, 55, 56, 57, 58 कुल किता 9 कुल रकबा 4.11है0 भूमि किशनलाल पिता देवी, सीताराम पिता मथरालाल गुर्जर वगैरह के नाम सामलाती खाता दर्ज रिकार्ड है। उक्त सामलाती आराजीयात में से आराजी संख्या 55, 56, 57, 58 पर आने-जाने के लिए रास्ता चाहा गया है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार आराजी संख्या 55, 56, 57, 58 पर पहुंचने के लिए रास्ता दर्ज रिकार्ड नहीं है, अतः रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थी ने ग्राम बीना का खेडा पटवार हल्का मेघनिवास के आराजी संख्या 157/66 रकबा 1.08है0 भूमि कैलाश, मोहन, हरकूबाई औड वगैरह के नाम दर्ज रिकार्ड है, जिसमें से उत्तरी मेड के सहारे-सहारे से रास्ता चाहा गया है परन्तु उक्त रास्ता मौके पर चालू है लेकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है। इसके अतिरिक्त उक्त आराजीयात पर आने जाने के लिए न्यूनतम दूरी का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। आराजी संख्या 157/66 में प्रस्तावित रास्ते में कोई पक्का निर्माण नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता ग्राम बीना का खेडा के आराजी संख्या 69 रकबा 0.36है0 गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकार्ड है, जो खेतों पर आने-जाने हेतु आम रास्ता है। जिससे लगता हुआ उक्त नया रास्ता प्रस्तावित किया गया है।उक्त प्रस्तावित रास्ते में कोई कुआं/टयूबवेल नही है। इस प्रकार आराजी संख्या 157/66 में प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 68 मी. चौडाई 5 मी. अनुसार 68X5=340 वर्गमीटर भूमि उपयोग में आयेगी। प्रस्तावित भूमि की प्रचलन डीएलसी रेट 471518 रू प्रति हैक्टयर अथवा 47.15 रू प्रति वर्गमीटर है। प्रार्थी के रास्ते मे आने वाली कुल भूमि 340 वर्गमीटर है। प्रचलन डीएलसी दर के हिसाब से 340X47.15=16031 रू बनती है। जिसका दुगुना शुल्क प्रार्थी को जमा कराना होगा।

हमने उभय पक्ष को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि उनकी आराजीयात में आने जाने का कोई रास्ता नहीं होने से उसे कृषि कार्य हेतु आने जाने में असुविधा होती है तथा आराजी संख्या 55, 56, 57, 58 कृषि भूमि पर कदीमी समय से आने जाने के लिए मुल रास्ते आराजी संख्या 69 गै0मु0 से होकर एक आम रास्ता विपक्षीगण के खसरा संख्या 157/66 रकबा 1.08 हेक्टर भूमि से रास्ता होता हुआ प्रार्थीगण की भूमि तक आता है, लेकिन उक्त रास्ता आस पड़ौस वाले विपक्षीगण संख्या 01 से 06 ने तारबंदी कर बंद कर दिया है, जिसके कारण प्रार्थीगण अपने खातेदारी काश्त की आराजी पर आ जा नहीं पा रहे हैं, उक्त आराजी पर आने जाने का एक मात्र रास्ता यही है, तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम नहीं है, उक्त रास्ता जो आराजी संख्या 157/66 के उत्तरी मेड के सहारे सहारे आराजी संख्या 55, 56, 57, 58 प्रार्थीगण के खाते की कृषि में आता है, प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 01 से 06 की खातेदारी की उक्त भूमि में से उत्तरी मेड पर से नियमानुसार रास्ता चाहता है। इसके लिए वह नियमानुसार राशि विपक्षी खातेदार को देने को तैयार है। तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट दिनांक 14.10.2024 के अनुसार उक्त प्रकरण में नक्शें अनुसार प्रार्थी विपक्षीगण आराजी संख्या 157/66 के पश्चिम दिशा से रास्ता [illegible] है, इस रास्ते में आराजी संख्या 157/66 (340 वर्गमीटर) भूमि काम आयेगी। प्रार्थी को ग्राम बीना का खेडा की [illegible] 157/66 के पश्चिम दिशा की ओर उत्तरी मेड के सहारे सहारे पर [illegible] डीएलसी दर 471518/ रू. प्रति है0 से 340X47.15=16031 रूपये की दुगुनी राशि कीमत [illegible] बनती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh
Date: 2024.11.27 17:11:26
Reason: SelfAttested

हमने अधिवक्ता प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी। प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तावित रास्ते हेतु आराजी संख्या 157/66 के खातेदारों को भी आवश्यक पक्षकार बनाकर सुनवाई हेतु अवसर दिया जाना प्रतित होता है, अतः प्रार्थीगण के पास उसके खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई मार्ग/विकल्प नहीं होने से उसके द्वारा सुखाधिकार के तहत भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। जिससे उक्त तथ्यों को देखते हुए

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

-:आदेश:-

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत ग्राम बीना का खेडा पटवार हल्का मेघनिवास की आराजी संख्या 55, 56, 57, 58 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 से 06 की आराजी संख्या 157/66 कुल रकबा 1.08 है0 में से पश्चिम दिशा उत्तरी मेड के सहारे-सहारे 340 वर्गमीटर भूमि रास्ता हेतु दिलाये जाने का स्वीकार किया जाकर रकबा 340 वर्गमीटर भूमि डीएलसी रेट अनुसार डीएलसी दर 471518/रू. अनुसार कीमत 16031 रू की दुगुनी दर से राशि 32062/रू. (अक्षरे रूपये बत्तीस हजार बासठ रू. मात्र) कीमतन का भुगतान संबंधित खातेदार हिस्से अनुसार किये जाने पर उक्त भूमि रास्ते के उपयोग हेतू बिलानाम दर्ज करने की स्वीकृति दी जाकर रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है, एवं प्रार्थीगण को आदेश दिया जाता है कि विपक्षी संख्या 01 से 06 की रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली भूमि 340 वर्गमीटर (राशि 32062 रू) का भुगतान विपक्षी संख्या 1 से 06 को किये जाने बाबत उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाकर भुगतान तहसीलदार रावतभाटा के मार्फत किये जाने हेतू प्रस्तुत करें। ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर उक्त आदेशानुसार भुगतान हेतू संबंधित तहसीलदार को ड्राफ्ट भिजवाया जावे तथा राजस्व अभिलेख में अमल हेतू तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे की छायाप्रति, निर्णय की प्रति के साथ संलग्न कर पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को पालनार्थ भेजी जावे।

(महेश गगोरिया)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh G
Date: 2024.11.27 17:11:26 IS
Reason: SelfAttested